५५०७ १

अपीलार्थी एवं अपीलार्थी के अधिवक्ता को बार-बार एक-एक कर आवाज दिलवायी गयी परन्तु अदालत में कोई भी उपस्थित नहीं हुये हैं। अतः अपीलार्थी से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 5 एवं अपील पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर [illegible] में [illegible] बाद तकमील दाखिल [illegible] हो एवं मूल अपील [illegible] हो।

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)